रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 1972/माघ 4, 1893
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 1972/MAGHA, 4, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

## PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 24th January, 1972*

SUBJECT.—*Utilisation of licences for iron and steel items.*

**No. 12-ITC(PN)/72.**—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 13-ITC(PN)/71, dated 7th October, 1971 in terms of which project authorities, actual users and exporters holding import licences for iron and steel items issued after 31st March, 1970 are required to send monthly reports regarding placement of orders, actual shipments, etc. in the prescribed proporma to the Joint Plant Committee, 18, Rabindra Sarani, Calcutta.

2. It has been noticed that a large number of licence holders for iron and steel items have not been furnishing the required reports to the Joint Plant Committee as provided in the aforesaid Public Notice. It has, therefore, been decided that in future, while applying for import licences, the importers should send a separate declaration with their import applications to the effect that they have complied with the provisions of the said Public Notice in furnishing reports to the Joint Plan Committee Applications for grant of import licences which are not accompanied by the aforesaid declaration are liable to be rejected.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जनवरी 1972

विषय लोहा तथा इस्पात मदों के लिए लाइसेंसों का उपयोग ।

संख्या 12-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 13-आईटी सी (पी०एन)/71' दिनांक 7-10-71 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार उन परियोजना प्राधिकारियों वास्तविक उपयोक्ताओं और निर्यातकों को जिन के पास 3183-1970 के बाद लोहा तथा इस्पात मदों के लिए जारी किए गए लाइसेंस हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में आदेश दिए जाने वास्तविक पोतलदान आदि के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट संयुक्त प्लांट समिति' 18' रवीन्द्र सरणि' कलकत्ता को भेजने की आवश्यकता है ।

2. यह बात जानकारी में आई है कि लोहा तथा इस्पात मदों के असंख्या लाइसेंस धारियों ने संयुक्त प्लांट समिति को उक्त सार्वजनिक सूचना में दिए गए के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट नहीं भेजी है । इसलिए' यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में जब वे आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन कर रहे हों तो उन्हें अपने आयातलाइसेंसों के साथ इस सम्बन्ध में अलग से एक घोषणा पत्र भेजना चाहिए कि संयुक्त प्लांट समिति को रिपोर्ट भेजते समय उन्होंने उक्त सार्वजनिक सूचना की व्यवस्थाओं का अनुपालन कर लिया है । आयात लाइसेंसों के लिए दिए जाने वाले वे आवेदन पत्र जो उक्त घोषणा पत्र के साथ नहीं है, रद्द कर दिए जाने योग्य है ।

SUBJECT. *Import Policy for Established Importers for the licensing period April, 1971-March* 1972.

**No. 13-ITC(PN)/72.**—Attention is invited to the import policy for Estblished Importers as contained in Section IV of the I.T.C Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971-March 1972.

2. It has been decided to make the following amendments in the said Section IV:—

| Page No. in Section IV. | I.T.C. No. | Amendments: |
|---|---|---|
| 133 | 30(f)(iii)/II. | In Column 4, the existing remark (3) may be substituted by the following:—<br>"(3) Although quota licences are not valid for the import of parts interchangeable with motor vehicle parts falling under S. No. 293, 295 & 297/IV, import of such interchangeable parts will be allowed provided they do not fall in List I of Appendix 26, and that in the case of parts falling in List II of Appendix 26, |

| Page No. in Section IV. | I.T.C. No. | Amendments: |
|---|---|---|
| | | their Import does not exceed the face value limits, prescribed therein. Parts specified in List of Appendix 4 will, however be governed by the policy given in Appendix 4" |
| 133 | 31(*b*)/II | In column 4, the existing remark (2) may be substituted by the following:— "(2) Although quota licences are not valid for the import of parts interchangeable with motor vehicle parts falling under S. No. 293, 295 & 297/IV, import of such interchangeable parts will be allowed provided they do not fall in List I of Appendix 26 and that in case of parts falling in List II of Appendix 26 their import does not exceed the face value limits prescribed therein. Parts specified in List B of Appendix 4 will, however, be governed by the policy given in Appendix 4." |
| 150 | 65(5)(ii)(a)/V | In column 4 after the existing remark (4), the following remark shall be added:— "(5) Although quota licences are not valid for the import of parts interchangeable with motor vehicle parts falling under S. No. 293, 295 & 297/IV, import of such interchangeable parts will be allowed provided that they do not fall in List I of Appendix 26 and that in case of parts falling in List II of Appendix 26, their import does not exceed the face value limits prescribed therein. Parts specified in List C in Appendix 4 will, however, be governed by the policy given in Appendix 4." |
| 152 | 74(iii)/V | In column 4, after the existing remark (7), the following remark shall be added:— "(8) Quota licences will not also be valid for the import of items mentioned in List I of Appendix 26. Items mentioned in List II of Appendix 26 will be allowed for import only to the extent of face value limits prescribed therein. These restrictions will apply only to parts interchangeable with motor vehicle parts falling under S. No. 293, 295 & 297/IV which are not specified in List 'D' of Appendix 4 in respect of which the policy indicated therein will apply." |
| 152 | 74(iv)/V | The existing remark in column 4 may be renumbered as (1) and the following remark added thereafter:— "(2) Quota licences will not be valid for import of items mentioned in List I of Appendix 26. However, items mentioned in List II of Appendix 26 will be allowed for import within the face value limits prescribed therein. These restrictions will apply only to parts interchangeable with motor vehicle parts falling under S. Nos. 293, 295 & 297/IV." |

3. The concessions allowed in respect of licences pertaining to S. No. 30(f)(iii)/II, 31(b)/II and 65(5)(ii)(a)/V in this Public Notice will also be applicable in the case of licences issued prior to the date of this Public Notice.

**विषय** : लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 के लिए सुस्थापित आयात के लिए आयात नीति ।

संख्या 13–आ.ई० टी० सं० (पी० एन०)/71.-अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा 1) के खंड 4 में सुस्थापित आयातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उक्त खंड में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया गया है :––

| खंड 4 में पृष्ठ संख्या | आयात व्यापार नियंत्रण संख्या | संशोधन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 133 | 30 (एफ) (iii)/2 | कालम 4 में, वतमान टिप्पणी (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :–– "(3) यद्यपि क्रम संख्या 293,295 और 297/4 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पुर्जों के आयात के लिए कोटा लाइसेंस वैध नहीं है जो मोटर गाड़ी के पुर्जों के साथ परस्पर विनियमशील है, फिर भी इस प्रकार के परस्पर विनिमयशील पुर्जों के आयात को स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि वे परिशिष्ट 26 की सूची 1 के अन्तर्गत नहीं आते हों और यह कि यदि वे परिशिष्ट 26 की सूची 2 के अन्तर्गत आते हों तो उनका आयात उन में निर्धारित अंकित मूल्य सीमा से ज्यादा न हो । लेकिन परिशिष्ट 4 की सूची ए में विशिष्टकृत पुर्जे परिशिष्ट 4 में दी गई नीति द्वारा शासित होंगे ।" |
| 133 | 31 (बी)/2 | कालम 4 में, वर्तमान टिप्पणी (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :– "(2) यद्यपि क्रम संख्या 293, 295 और 296/4 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पुर्जों के आयात के लिए कोटा लाइसेंस वैध नहीं है जो मोटर गाड़ी के पुर्जों के साथ परस्पर विनिमयशील है, फिर भी इस प्रकार के परस्पर विनिमयशील पुर्जों के आयात की स्वीकृति दी जाएगी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | बशर्ते कि वे परिशिष्ट 26 की सूची 1 के अन्तर्गत नहीं आते हों और यह कि यदि वे परिशिष्ट 26 की सूची 2 के अन्तर्गत आते हों तो उनका आयात उन में निर्धारित अंकित मूल्य सीमा से ज्यादा न हो । लेकिन परिशिष्ट 4 की सूची बी में विशिष्टकृत पुर्जे परिशिष्ट 4 में दी गई नीति द्वारा शासित होंगे" । |
| 150 | 65(5)(2)(ए)/5 | कालम 4, में वर्तमान टिप्पणी (4) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— "(5) यद्यपि क्रम संख्या 293, 295 और 297/4 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पुर्जों के आयात के लिए कोटा लाइसेंस वैध नहीं हैं जो मोटर गाड़ी के पुर्जों के साथ परस्पर विनिमयशील है, फिर भी इस प्रकार के परस्पर विनिमयशील पुर्जों के आयात की स्वीकृति दी जाएगी । बशर्ते कि वे परिशिष्ट 26 की सूची 1 के अन्तर्गत नहीं आते हों और यह कि यदि वे परिशिष्ट 26 की सूची 2 के अन्तर्गत आते हों तो उनका आयात उन मे निर्धारित अंकि मल्य सीमा से ज्यादा न हो । लेकिन परिशिष्ट 4 की सूची सी में विशिष्टिकृत पुर्जे परिशिष्ट 4 में दी गई नीति द्वारा शासित होंगे । |
| 152 | 74(iii)/5 | कालम 4, में वर्तमान टिप्पणी (7) के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी.— "(8) परिशिष्ट 26 की सूची 1 में उल्लिखित मदों के आयात के लिए भी कोटा-लाइसेंस वैध नहीं होंगे । परिशिष्ट 26 की सूची 2 मे उल्लिखित मदों के आयात की अनुमति केवल उसमें निर्धारित अंकित मूल्य की सीमा तक दी जाएगी । ये प्रतिबन्ध, केवल उन पुर्जों के लिए लागू होंगे जो क्रम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | सख्या 293,295 तथा 297/4 में आनेवाले उन मोटर गाड़ी के पुर्जों के साथ परस्पर विनिमयशील हों जो परिशिष्ट 4 की सूची 'डी' मे विशिष्टि कृत नही है जिन के लिए वहां निर्दिष्ट नीति लागू होगी ।" |
| 152 | 74(6)/5 | कालम 4 में, वर्तमान टिप्पणी को टिप्पणी (1) के रुप में पुनः संख्यांकित की जाए और उसके बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए –<br>"(2) कोटा लाइसेंस, परिशिष्ट 26 की सूची 1 में उल्लिखित मदों के आयात के लिए वैध नहीं होंगे । लेकिन, परिशिष्ट 26 की सूची 2 मे उल्लिखित मदों के आयात की अनुमति वहां निर्धारित अंकित मूल्य सीमाओं के भीतर दी जाएगी । ये प्रतिबन्ध केवल उन्हीं पुर्जों के लिए लागू होंगे जो क्रम सख्या 293, 295 तथा 297/4 मे आने वाले मोटर गाड़ी के पुर्जो के साथ परस्पर विनिमयशील हों । |

3. इस सार्वजनिक सूचना मे क्रम स० 30 (एफ) ( ) /2, 31 (बी)/2, और 65 (5) (ii) (ए) से सम्बन्धित लाइसेंस के लिए अनुमति रियायत इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले जारी किए गए लाइसेंसों के मामले मे भी लागू होगी ।

SUBJECT.—*Import of Tool, Alloy and Special Steels during April,* 1971—*March* 1972 *period.*

**No. 14-ITC(PN)/72.**—Attention is invited to the policy indicated for import of Tool, alloy and special steels in Schedule 'C' in Appendix 41 of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for April 1971—March 1972 period.

2. In view of the current availability of Tool, alloy and special steels from indigenous production and imports and in order to conserve foreign exchange, it has been decided to reduce the value and quantity of import licences issued to actual users under the import policy for the period April 1971—March 1972, which are for the import of the aforesaid items. The reduction in value/quantity will be equal to one-third of the value/quantity of the import licence or the unutilised value/quantity whichever is less. The unutilised value/quantity for this purpose will be taken as the value/quantity for which the goods against the import licence have not been shipped or the licence holder has not made any

firm commitment by opening on irrevocable letter of credit, before the date of this Public Notice. The licence holders should not, therefore, make any commitments or shipments or open any letter of credit in respect of the one-third of the value/quantity of their licence or the value/quantity unutilised on the date of this Public Notice, whichever is less. This restriction will not apply to the shipments being made in respect of goods for which irrevocable letter of credit has been opened before the date of this Public Notice.

3. The provisions of this Public Notice regarding reduction in value/quantity shall not apply to the licences issued to public sector projects/undertakings and small scale industrial units.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : अप्रैल, 1971–मार्च 1972 अवधि के दौरान औजार, मिश्रधातु,
और विशिष्ट इस्पातों का आयात ।

संख्या: 14 आई० टी०सी० (पी० एन० )।71. अप्रैल 1971–मार्च 1972 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक-वा०। ) के परिशिष्ट 41 में अनुसूची 'सी' में औजार मिश्रधातु और विशिष्ट इस्पातों के आयात के लिए निर्दिष्ट नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 देशी उत्पाद और आयातों से, औजार मिश्रधातु, और विशिष्ट इस्पातों की वर्तमान उपलब्धि को ध्यान में रखकर और विदेशी मुद्रा को परिरक्षित रखने के लिए यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल 1971 मार्च 1972 अवधि के लिए आयात नीति के अंतर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को जारी किए गए आयात लाइसेंसों के मूल्य और मात्रा जो पूर्वोक्त मदों के आयात के लिए हैं उनको घटाया जाय । मूल्य /मात्रा में कटौती आयात लाइसेंस के मूल्य मात्रा का एक तिहाई, के बराबर या बिना उपयोग किए गए मूल्य। मात्रा के बराबर इनमें से जो भी कम हो, वह होगी। इस उद्देश्य के लिए बिना उपयोग किए गए मूल्य/ मात्रा की गणना उस मूल्य/मात्रा के रूप में की जाएगी जिसके लिए आयात लाइसेंस के आधार पर माल का पोत लदान न किया गया हो या जिसके लिए लाइसेंसधारी ने इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले कोई अविनिमेय साख पत्र खोल कर पक्का सौदा न किया हो । इसलिए लाइसेंसधारी को अपने लाइसेंस के मूल्य/मात्रा के एक तिहाई या इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को बिना उपयोग किए गए मूल्य/मात्रा, इनमें से जोभी कम हो, उसके लिए कोई सौदा या पोतलदान नहीं करना चाहिए या साखपत्र नहीं खोलना चाहिए । यह प्रतिबन्ध उस मात्रा के लिए पोतलदान किए जाने के लिए लागू नहीं होगा जिसके लिए इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले अविमेय साखपत्र खोल लिया गया हो ।

3 मूल्य/मात्रा में कटौती से संबंधित इस सार्वजनिक सूचना की शर्तें सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं/संस्थानों और लघु उद्योग एककों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972